3/यो0-32/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2019-20) २२

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना। पटना, दिनांक -08-04-2019

विषय:- **मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगजन के जीवन स्तर में सुधार एवं पुनर्वास तथा सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमतावर्धन संबंधी योजनाओं के संचालन के लिए रू. 3498.00 लाख (रू. चौतीस करोड अन्ठानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग का ज्ञापांक- 5723 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजन के जीवन स्तर में सुधार एवं पुनर्वास तथा सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमतावर्धन संबंधी योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया गया है। वित विभाग, बिहार, के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वितीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना हेतु वाहय सम्पोषित परियोजना (EAP) की राशि रू. 2640/- लाख (रू. छब्बीस करोड़ चालीस लाख) एवं अन्य राज्य स्कीम में रू. 858/- लाख (रू. आठ करोड अन्ठावन लाख) यानी **कुल रू. 3498.00 लाख (रू. चौतीस करोड अन्ठानवे लाख)** मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि रू. लाख में)

क्र	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	स्वीकृत राशि
वाहय सम्पोषित परियोजना (EAP) की राशि					
1	बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS)	0504-31-06	(51-2235021040504)	8000.00	2640.00
	योग:-1 **(छब्बीस करोड चालीस लाख)**			8000.00	2640.00

-2-

राज्य स्कीम					
2	मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना	0107-31-06	(51-2235021040107)	1000.00	330.00
3	वृद्धाश्रम (सहारा)	0106-31-06	(51-2235021010106)	600.10	198.00
4	वृद्धाश्रम निर्माण योजना		(03-4235021040101)	1000.00	330.00
	योग:-2 **(आठ करोड अन्ठावन लाख)**			2600.00	858.00
	कुल (योग 1+2) :- **(रू. चौतीस करोड अन्ठानवे लाख)**			10600.00	3498.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वृद्धाश्रम निर्माण योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।